बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 264073 पटना, दिनांक 01/03/16
ग्रा0वि0-5/इं0आ0यो0(प्रोत्साहन)-127/2011

प्रेषक,

अरविन्द कुमार चौधरी,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
सभी उप विकास आयुक्त ।

विषय :- **इंदिरा आवास योजनान्तर्गत महादलित वर्ग के लाभुकों द्वारा दूसरे किस्त की सहायता राशि प्राप्त करने के दो माह के अंदर मकान निर्माण पूर्ण करने के लिए लाभार्थियों को प्रोत्साहन स्वरूप ₹ 2,000 अतिरिक्त अनुदान देने के संबंध में ।**

महाशय,

आप अवगत हैं कि वित्तीय वर्ष 2013-14 से इंदिरा आवास योजनान्तर्गत महादलित वर्ग के लाभुकों द्वारा दूसरे किस्त की सहायता राशि प्राप्त करने के दो माह के अंदर मकान निर्माण पूर्ण करने के लिए लाभार्थियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से "मुख्य मंत्री शताब्दी इंदिरा आवास प्रोत्साहन योजना" का कार्यान्वयन कराया जा रहा है । इस योजना के तहत योग्य लाभुकों को प्रोत्साहन स्वरूप ₹ 2,000 अतिरिक्त अनुदान दिया जाना है । योजना के कार्यान्वयन से संबंधित मुख्य शर्तें निम्नवत है :-

(1) इस योजना में महादलित वर्ग के जो लाभार्थी इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत द्वितीय किस्त की सहायता राशि प्राप्त करने के दो माह के अंदर अपना आवास निर्माण पूर्ण कर लेंगे, उन्हें राज्य सरकार की ओर से ₹ 2000 अतिरिक्त प्रोत्साहन स्वरूप दिये जायेंगे ।

(2) इसके लिए लाभान्वित को पूर्ण किये हुए घर का फोटोग्राफ, जिसमें लाभान्वित स्वयं हो, साक्ष्य के रूप में देना होगा, जिसमें फोटोग्राफी की तिथि भी अंकित हो ।

(3) प्रोत्साहन की राशि ₹ 2000 लाभान्वित के बैंक खाते में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा सीधे प्रेषित कर दी जायेगी ।

वित्तीय वर्ष 2013-14 में योजना के कार्यान्वयन के लिए 10.00 करोड़ रूपये की राशि जिलों को आवंटित की गयी थी किन्तु मात्र नवादा जिला द्वारा ही पूर्ण रूप से राशि का उपयोग किया गया तथा अरवल, औरंगाबाद, बक्सर, दरभंगा, गोपालगंज, लखीसराय, मधुबनी, नालन्दा, सारण एवं शेखपुरा जिलों ने आंशिक रूप से राशि का उपयोग किया गया । शेष अन्य जिलों में से कुछ जिले आवंटित राशि की निकासी नहीं कर सके, कुछ जिले आवंटित की गयी राशि को निकासी न कर विभाग को प्रत्यर्पित कर दिया, कुछ जिले निकासी की गयी जिले को कोषागार में जमा कर दिया गया और कुछ जिलों में वर्ष 2013-14 में निकासी की गयी राशि अव्यवहृत रूप से पड़ी है ।

इसका प्रमुख कारण यह लगता है कि इस महत्वपूर्ण योजना की जानकारी महादलित वर्ग के लाभुकों के बीच नहीं पहुँच पायी है । यद्दपि समय-समय पर आम जनता को अवगत कराने के लिए विभाग स्तर से समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित किये गये हैं तथा जिलों को स्थानीय स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार कराने का निदेश भी दिया गया था ।

अतः अनुरोध है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्रामीण आवास सहायक एवं विकास मित्र की सेवा इस महत्वपूर्ण योजना से लाभुकों को अवगत कराने की दिशा में प्रभावी रूप से उपयोग में लाई जाय । साथ ही ग्रामीण आवास सहायकों को महादलित परिवार के निर्माणाधीन आवासों का साप्ताहिक पर्यवेक्षण करने का निदेश दिया जाय तथा ग्रामीण आवास सहायकों के कार्य की समीक्षा साप्ताहिक बैठक में करने का निदेश प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को दिया जाय ।

इसका सघन अनुश्रवण किया जाय ।

विश्वासभाजन

29/2/2016

(अरविन्द कुमार चौधरी)

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 264073 पटना, दिनांक 01/03/16

प्रतिलिपि- सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

29/2/2016

सरकार के सचिव

E:\D Drive\Mukesh\IAY 1446.doc